# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 27/2019/प्रा.पत्र/2019 | 14.05.2019 | 16.05.2022 |

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1–एफ.बी.ओ. श्री जिनेश कुमार जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन जाति महाजन निवासी खातीयों का मोहल्ला अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक मैसर्स मोदी ट्रेडर्स बालाकिला चौक अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक
2– मैसर्स मोदी ट्रेडर्स बालाकिला चौक अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक

..... अप्रार्थी

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)की उप धारा (iv),(v) एवं 31(1) दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)**

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थी श्री जिनेश कुमार जैन अनुपस्थित।

:–निर्णय–: **दिनांक 16.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.02.2019 को समय 12:30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मोदी ट्रेडर्स बालाकिला चौक अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहॉ श्री जिनेश कुमार जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री जिनेश कुमार जैन ने स्वयं को मैसर्स मोदी ट्रेडर्स बालाकिला चौक अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 31(1) का उल्लंघन है।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में स्टील की टंकी में लगभग 10– 12 किलोग्राम **सरसों तेल (खुला)** रखा हुआ था, जिसे देखने पर मिलावट की शंका होने पर श्री जिनेश कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री जिनेश कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सरसों तेल (खुला)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे हैं, कुल 1 किलो 600 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **सरसों तेल (खुला)** 1 किलो 600 ग्राम को बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखे कांच की शिशियों में बराबर–बराबर प्रत्येक में 400–400 ग्राम भरकर प्रत्येक कांच की शिशियों को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2130 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता श्री जिनेश कुमार जैन तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2130 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/757 दिनांक 26.03.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/454/एक्ट/2019/390 दिनांक 13.03.2019 के अनुसार विक्रेता श्री जिनेश कुमार जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गय **सरसों तेल (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 क रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बधन) नं. 2,3,14(15) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का **सरसों तेल (खुला)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) व (v) एवं 31(1) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा एवं दण्डनीय धारा 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 26.07.2019 को एडवोकेट श्री गजेन्द्र शर्मा द्वारा वकालतानामा पेश करने हेतु अण्डरटेकिंग दी गई किन्तु वकालतनामा पेश करने हेतु 14 अवसर देने के बावजूद वकालतनामा पेश नहीं किया। चूंकि अप्रार्थी की तामिल हो चुकी है किन्तु वह उपस्थित नहीं हुए। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सरसों तेल (खुला)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सरसों तेल (खुला)** नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) व (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री जिनेश कुमार जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन जाति महाजन निवासी खातीयों का मोहल्ला अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक मैसर्स मोदी ट्रेडर्स बालाकिला चौक अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक पर शास्ति रूपये 30,000 (अक्षरे तीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक